न्यायालय श्री सिद्धार्थ पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्र0 श्रे0, हसपुरा ।
जी0आर0सं0–668/2019
हसपुरा थाना कांड संख्या–107/2019

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री अरविन्द कुमार (अ0 पदाधिकारी) ।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री ललन प्रसाद सिंह ।

19.08.2019 कारागीन अभियुक्त राहुल कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त दाखिल जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है। आवेदक के द्वारा वैसा कोई कार्य नही किया गया है, जैसा कि सूचक द्वारा अपने आवेदन में आवेदक के विरूद्ध कहा गया है । पुलिस द्वारा जो बालू पकड.ा गया है, वह ट्रैक्टर मालिक के द्वारा पूर्व में अपने घर बनाने हेतु खरीद कर घर में रखे थे, उसी बालु को उठाकर ट्रैक्टर मालिक के रिस्तेदार हसपुरा ले जा रहे थे । आवेदक ट्रैक्टर का चालक है । आवेदक के विरूद्ध लगाये गये धाराएँ लागू नही होता है । आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नही है । जप्ती सूची का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है । आवेदक दिनांक–14.08.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 379/411/413/420/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 15 इन्वोरमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दर्ज की गई है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है आवेदक द्वारा निजी लाभ हेतु चोरी से खनिज सम्पदा बालु का खनन कर अवैध तरीके से वालू का परिवहन कर बिहार सरकार की राजस्व की क्षति पहुँचायी जा रही है । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमें उक्त वर्णित बालू का जिक्र है । अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज गाड.ी एवं बालु के सम्बन्ध में दाखिल नही किया गया है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।